स्वास्थ्य नीति

प्रस्तावना

जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, "किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी और कमज़ोरी न होने की दशा को अच्छा स्वास्थ्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है एक व्यक्ति द्वारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता का अनुभव करना।" इसके अलावा, "हर एक व्यक्ति के पास उच्चतम स्वास्थ्य स्तर को हासिल करने का मूलभूत अधिकार है चाहे उसकी जाति, उसका धर्म, राजनीतिक विचार, उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।"

केवल स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ समाज द्वारा ही लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य संभव हो सकता है। यह मानते हुए कि अच्छा स्वास्थ्य एक व्यक्ति विशेष और पूरे समाज के हित के लिए आवश्यक है, द ग्रीन्स एक ऐसी नीति तैयार करेगा जिसके माध्यम से व्यक्ति, समुदाय और बड़े पैमाने पर पूरे समाज में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले।

लक्ष्य

द ग्रीन्स ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और नीतियों का निर्माण करने का प्रयास करेगा जिनके माध्यम से व्यक्ति और पूरा समुदाय व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर शारीरिक, मानसिक खुशहाली और मनोसामाजिक संतुलन हासिल करने में सक्षम हो जाए। सभी सार्वजनिक सेवाओं की तरह, किसी व्यक्ति द्वारा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए चाहे उस व्यक्ति की जाति, उसका धर्म, राजनीतिक विचार, उसकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति या उसके अन्य व्यक्तिगत पसंद/नापसंद/निर्णय कुछ भी हों। इसके अलावा, राष्ट्रिय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के सूचकों में जीवन स्तर की गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को शामिल कर उनके अनुसार सरकार के सभी स्तरों पर नीति, कार्यक्रम और कार्यनीति बनानी चाहिए।

उद्देश्य

द ग्रीन्स का उद्देश्य बिना भेदभाव करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देना है जिनके माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत समुदाय का हर एक व्यक्ति और पूरा समुदाय अपने जीवन के हर पहलू में अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर सके। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ताकि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयासों को प्रोत्साहन मिले। ऐसे प्रयास निहित

स्वार्थ को चुनौती देते हुए बेहतर स्वास्थ्य हासिल करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को बढ़ावा देंगे।

कार्य योजना

द ग्रीन्स की कार्य योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास शामिल होगा जिससे बीमारी के उपचार और निवारण समेत उसकी रोकथाम की जाएगी और प्रोत्साहन द्वारा हर एक व्यक्ति तथा पूरे समुदाय के आत्मनिर्भर बनने पर ज़ोर डाला जाएगा। ऐसी सेवाएं व्यक्ति और समुदाय को सशक्त बनाएंगी; ये लोकतांत्रिक होंगी और सभी लोग इनका हिस्सा बनेंगे तथा इनका विकास समुदाय के लोगों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार होगा। इसलिए, द ग्रीन्स -

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा

- सुनिश्चित करेगा कि हर एक व्यक्ति का सरकार द्वारा पोषित अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने को उसके मूलभूत अधिकार के रूप में देखा जाए
- समुदाय के लोगों का सरकार द्वारा पोषित प्राथमिक दंत चिकित्सा की ओर पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा
- सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अवसर मिले
- सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े निर्णय सबसे पक्के प्रमाणों के आधार पर लिए जाएं
- स्वास्थ्य सेवा की संपूर्णात्मक मॉडल का समर्थन करेगा जिसमें प्रमाणित सुरक्षित और असरदार पूरक और वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतियां शामिल हों
- सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के सभी लोगों को चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए ज़रूरी संसाधन और अवसर प्राप्त होते रहें
- रोकथाम प्रक्रियाओं और उपायों का समर्थन करेगा ताकि सामाजिक खराबियों को कम किया जा सके
- रोकथाम उपाय, शुरूआती हस्तक्षेप और नियमित देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की नींव बनाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था ऐसी हो जिससे व्यक्ति की गरीमा, उसकी पसंद और उसकी गोपनीयता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहे

- सुनिश्चित करेगा कि खाने के उत्पादों पर व्यापक लेबल लगाने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाए, इस नियम के अनुसार लेबल में उत्पाद की हर एक सामग्री और उसमें मौजूद पोषण तत्वों के नाम हों और उत्पाद के बारे में केवल विज्ञान द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य और पोषण दावों का उल्लेख हो
- सुनिश्चित करेगा कि स्वदेशीय लोग और अल्पसंख्यकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनकी संस्कृति के अनुरूप और उनके समुदाय द्वारा नियंत्रित हो
- बीमारी की रोकथाम के लिए एक व्यक्ति द्वारा अपनी मर्ज़ी से टीका लगाने के निर्णय का समर्थन करेगा

अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी

- उन वर्तमान उपायों, कार्यक्रमों और कानूनी कार्यों का समर्थन करेगा जिनके माध्यम से सभी के लिए कम पैसों में उच्च गुणवत्ता वाली डॉक्टरी सेवाएं प्राप्त करना संभव होगा।
- चिकित्सा संबंधी उत्पाद और सेवाओं की एक समान उचित कीमत सुनिश्चित करेगा
- सुनिश्चित करेगा कि अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और दूसरे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया जाता हो जिसमें स्वास्थ्य सेवा संबंधी कर्मचारी, ग्राहक और दूसरे सार्वजनिक हितों के प्रतिनिधि शामिल हों
- सुनिश्चित करेगा कि सफ़ाई और पारदर्शिता के साथ शुल्क, चार्ज, ऐसे खर्च जिनमें नकदी का इस्तेमाल हुआ हो और साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी खर्च और स्वस्थ बीमा छूट में अंतर का खुलासा किया जाए
- प्राथमिक चिकित्सा, स्पेशलिस्ट द्वारा चिकित्सा और अस्पताल में कराई जाने वाली चिकित्सा को ध्यान से एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे
- सुनिश्चित करेंगे कि छोटी बीमारियों और चोटों के लिए देखभाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हो
- प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई को ज़रूरत से ज़्यादा समय तक लेते रहने के निर्देश देने के चलन को घटाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि कार्य और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम की ओर असरदार तरीके अपनाए जाएं और चोट लगने पर पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध हों
- ग्रामीण और दूर-दाराज के क्षेत्रों में ज़्यादा डॉक्टरों की उपलब्धता प्रदान करेगा
- सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के पारिश्रमिक वेतन सुनिश्चित करेगा
- मरीज़ की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देगा जिसके चलते गलत व्यवहार, लापरवाही और धोखाधड़ी के खिलाफ़ सख्त नियम लागू किए जाएंगे

- स्व-सहायता, समुदाय द्वारा आधारित पहल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को इस ओर सक्षम बनाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी चोट और छोटी बीमारियों से पीड़ित लोगों का उपचार करने में सक्षम बनें

एचआईवी (HIV)/एड्स

- एचआईवी (HIV)/एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा
- लघु फिल्म, संचार मीडिया, सोशल मीडिया और संचार के दूसरे माध्यमों द्वारा एचआईवी (HIV)/एड्स संबंधी कलंक को हटाने का प्रयास करेगा
- यौन शिक्षा द्वारा एचआईवी (HIV)/एड्स को फ़ैलने से रोकेगा
- ख़ास तौर पर युवाओं को एचआईवी (HIV)/एड्स के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा
- एचआईवी (HIV)/एड्स के खिलाफ़ जंग के पहलुओं में बदलाव लाकर इस जंग में लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा
- एचआईवी (HIV) से पीड़ित लोगों के जीवन गुणवत्ता स्तर में सुधार लाएगा

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य

- प्रजनन संबंधी निर्णयों में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिक स्वत्व अधिकार सुनिश्चित करेगा
- निःशुल्क कंडोम वितरण, प्रजनन स्वास्थ्य केंद्र और परिवार नियोजन सेवा की ओर लोगों की पहुंच मज़बूत करेगा और प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता पहल के लिए उचित आर्थिक सहायता प्रदान करेगा
- यह मानते हुए कि यौन शिक्षा, आसानी से मिलने वाली गर्भनिरोधन सेवाएं और महिला तथा पुरुष के बीच समानता द्वारा अनचाहे गर्भ के मामलों को कम किया जा सकता है, इस बारे में उचित कदम उठाएगा
- डब्ल्यूएचओ (WHO) के सुझावों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान संस्कृति के अनुरूप उचित और उच्च गुणवत्ता वाली मातृत्व देखभाल, जन्म और प्रसव के बाद देखभाल सुनिश्चित करेगा।
- जिन महिलाओं का प्रसव प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन्हें प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देने के विकल्प प्रदान करेगा
- सुनिश्चित करेगा कि सभी महिलाएं और उनके पति/पार्टनर दोनों को बच्चे के जन्म के बाद उचित सहारा मिले ताकि वे सदमे और प्रसव के बाद होने वाले अवसाद से निपट सकें

- सार्वजनिक इमारतों, कार्यस्थलों और दुकानों में महिलाओं के लिए स्तनपान कराने की सुविधा की उपलब्धता को प्रोत्साहन देगा
- सुनिश्चित करेगा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों का वातावरण बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हों, जैसा कि यूनिसेफ़ (UNICEF) द्वारा निर्धारित है
- सुनिश्चित करेगा कि सभी महिलाओं को कानूनी, निःशुल्क और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं मिलें

मानसिक स्वास्थ्य

- मानसिक बिमारियां संबंधी सामाजिक कलंक को कम करने के लिए कार्यक्रम, शिक्षा और जागरूकता पहल का आयोजन करेगा
- समुदाय में जो लोग सालों से मानसिक और/या शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें उनके समुदाय के लोगों से सहारा प्रदान करवाएगा ताकि वे भी सामुदायिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सके
- सभी स्थानीय अधिकारीयों को मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा संबंधी सर्वोत्तम प्रणालियों का पता लगाने के लिए शोध का आयोजन कर उसके लिए उचित आर्थिक सहायता प्रदान करेगा
- सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उसकी उम्र, जातीयता, लिंग, लैंगिकता, संस्कृति, और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील हैं
- विद्यालयों को उपयुक्त रूप से ट्रेनिंग प्राप्त काउन्सलर रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि बच्चे उनसे बिना झिझक बात कर सकें
- सुनिश्चित करेगा कि बच्चे और किशोर/किशोरियों तक बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती रहें और इन सेवाओं के लिए ज़रूरी आर्थिक सहायता मिलती रहे
- सुनिश्चित करेगा कि जिन जगहों पर अक्सर आत्महत्याएं की जाती हैं उन जगहों पर आत्महत्या रोकने के लिए स्थानीय अधिकारी उचित कदम उठाएं

सूचित सहमति

- सुनिश्चित करेगा कि हर एक व्यक्ति के पास अपने शरीर संबंधी किसी चिकित्सीय, दांत संबंधी, दवाई या दूसरी प्रक्रिया के विषय में बिना दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती के सूचित सहमति का अधिकार हो। सूचित सहमति प्रमाण करने योग्य होना चाहिए

- कानून बनाएगा कि शरीर के ऊतक या शरीर से निकाले गए अंग/अंगों से, या शरीर के अंदर प्रवेश करने, इंजेक्शन, नमूने और इमेजिंग से बनाए गए किसी भी उत्पाद को मरीज़ की सूचित सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा
- व्यक्ति के सभी चिकित्सा संबंधी, दांत संबंधी और दवाइयों के रिकॉर्ड डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जब तक न बिना किसी दबाव या ज़ोर-ज़बरदस्ती के वह व्यक्ति इनका खुलासा करना चाहे
- सुनिश्चित करेगा कि मरीज़ को उपचार कराने या न कराने के विषय में निर्णय लेने की पूरी आज़ादी प्राप्त हो
- सुनिश्चित करेगा कि मरीज़ के जीवन के आख़िरी दिनों में चिकित्सीय निर्णय (यदि कानून इसकी अनुमति देता है) गंभीरता से लिए जाएं और उस मरीज़ के पास ऐसे व्यक्तियों को चुनने का अधिकार सुरक्षित है जो उसके चिकित्सीय और दूसरे रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेगा
- सुनिश्चित करेगा कि मरीज़ द्वारा प्रदान की गई सूचित सहमति सफ़ाई से लिखी और दर्ज की जाए

दवाइयों और प्रिस्क्रिप्शन मूल्य का विनियमन

- सुनिश्चित करेगा कि दवाइयों की सुरक्षा और उनका विनियमन केवल एक ही सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाए
- सिंथेटिक दवाइयां और प्राकृतिक दवाइयां दोनों का मूल्यांकन प्रमाण के आधार पर किया जाएगा जिसमें अपने-अपने प्रयोगों में चिकित्सक विशेषज्ञ शामिल होंगे
- सुनिश्चित करेगा कि एक स्वतंत्र स्वास्थ्य उपचार एजेंसी उचित प्राधिकरण को उपचारों के असरदार होने के बारे में भरोसा दे और नए उपचार अपनाने के बारे में सुझाव दे
- दवाइयों और प्रिस्क्रिप्शन मूल्य को नियंत्रित करने के उपाय लागू करेगा ताकि लोग कम कीमत पर आवश्यक उपचार प्राप्त कर सकें
- दूसरी बुनियादी ज़रूरत के उत्पादों समेत शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक उत्पादों पर लागू हर प्रकार के बिक्री कर और/या मूल्य वर्धित कर को हटाएगा
- जहां उपलब्ध हो वहां सामान्य दवाइयों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना

समुदायों और विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं

- सामुदायिक सेवाओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहारे में बढ़ोतरी जिससे घरों या समुदाय केंद्रों में जितना संभव हो सके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके

- विकलांगों (दिव्यांग), बुज़ुर्गों और मानसिक तथा शारीरिक बीमारियों से पीड़ित लोग और सीखने में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों के लिए सामुदायिक सेवाओं में बढ़ोतरी लाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि हर एक विद्यालय के पास अपने छात्रों के लिए ताज़ा, स्वास्थ्यवर्धक, और अच्छा होगा कि स्थानीय स्रोतों से तैयार दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता और काबिलियत हो
- विद्यालय के पाठ्यक्रम में व्यायाम और शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यालय से छुट्टी के बाद पाठ्यक्रम के बाहर बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा
- राष्ट्रीय स्तर पर दावा कम करने की कार्यनीति और सुरक्षित इंजेक्शन स्थान बनाएगा
- विद्यालयों और कार्यस्थलों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समस्या संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करेगा

शोध और विकास

- कम लागत में स्वास्थ्य देखभाल और बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक शोध कार्यक्रम का आयोजन करेगा और दवाइयों, उपचार संबंधी सामान, चिकित्सा उपकरण और दूसरे उपचार और तकनीकों के मूल्यांकन, अनुमोदन, विनियमन और विपणन के लिए एक कड़ी व्यवस्था की स्थापना करेगा
- सभी स्तरों पर, ख़ासकर समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, परिचर्या (नर्सिंग) और पूरे समुदाय की देखभाल संबंधी शोध कार्य का समर्थन करेगा
- पारंपरिक और वैकल्पिक / पूरक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी शोध कार्य में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा

विविध

- पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील उद्योग और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा
- कृषि, विनिर्माण और उद्योग में प्रयोग होने वाले कीटनाशक, ग्लाइकोल, पारा (मरकरी) और औद्योगिक रसायन जैसे हानिकारक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएगा या उन्हें नियंत्रित करेगा
- डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए दवाइयों के वितरण को नियंत्रित करेगा ताकि लोग इन दवाइयों का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन न करें और उन्हें इनकी लत न लग जाए
- सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल में व्यवसाय संबंधी उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हों
- एलजीबीटी+ (LGBTIQA+) समुदाय के लिए आयोजित ख़ास स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आर्थिक सहारा मिलती रहे और जोखिम का सामना करने वाले व्यक्तियों की पहचान हो और उन्हें सहारा मिले

- किसी व्यक्ति की लैंगिकता या लिंग पहचान में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन, ऐसे परिवर्तन को हासिल करने के लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती से कराए जाने वाले उपचार, इनके लिए जारी आर्थिक सहारे पर प्रतिबंध लगाएगा
- बहुत ज़्यादा शक्कर वाले खाने के उत्पाद और पेय पदार्थों के सेवन को कम करेगा

संदर्भ

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/health/index.html
https://www.globalgreens.org/globalcharter-english
https://greens.org.au/policies/health
https://www.greens.org.nz/health_policy
https://www.cagreens.org/platform/health-care
https://policy.greenparty.org.uk/he.html
https://indiagreensparty.org/policies/health/
https://www.greenparty.ca/en/our-vision/health-care
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/